	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे कार्यव्यस्ता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका है। प्रकरण मे बहस सुने हुए एक माह से अधिक समय होने से पुन: मजिद बहस सुनी गई बाद वादी गण का दावा स्वीकार किया जाता है विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया. पत्रावली मे डिक्री की प्रति तहसीलदार बेमु. को दिजावे/पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature]	

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

संख्या :–122/2014

मूर्ति माता जी स्थान फतहपुर उर्फ जुझलामगरी पटवार सर्कल नया देदीया तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ द्वारा सरवराकार तेजकुंवर उर्फ तेजूबाई धर्मपत्नी शोभागसिंह जी राजपूत निवासी फतहपुर उर्फ जुझलामगरी तह0 बेगूँ जिला चितौडगढ़ वादी

बनाम

1. श्रीमान राज0 राज्य द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, चितौडगढ़
2. श्रीमान तहसीलदार साहब बेगूँ (भूमिधारी जी) तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़
3. श्री हीरा पिता धीसा भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
4. श्री कूका पिता घीसा भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
5. श्रीमती शांति बेवा डालू भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
6. सुश्री रामकन्या पुत्री डालू भील निवासी देदीया ना0ब0बवलायत माता शांति बेवा डालू भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
7. नानी पिता घीसा पति काशीराम भील निवासी कुलाटीया तह0 बेगूँ
8. चुन्नी पिता घीसा पति गंगाराम भील निवासी कुलाटीया तह0 बेगूँ
9. गंगा बेवा रूपा भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
10. देवीलाल पिता रूपा भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
11. रामलाल पिता रूपा भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
12. कूका पिता रूपा भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
13. मदन पिता रूपा भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
14. देवीलाल पिता सोला भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
15. चुन्नीलाल पिता सोला भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
16. गेंदमल पिता सोला भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
17. प्यारचंद्र पिता सोला भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
18. भंवरलाल पिता जग्गा उर्फ जगन्नाथ भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
19. देवस्थान विभाग ,उदयपुर द्वारा कमिश्नर सा0 उदयपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री सिद्धान्त बिल्लू
अधिवक्ता वादी
तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार राज0सरकार

निर्णय दिनांक :– 29.01.2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा फतहपुर उर्फ जुझलामगरी प0मं0 देदीया तहसील बेगूँ जिला चितैडगढ में हम राजपूत (जगीरदार) की मूर्ति माता जी स्थित है पूर्व में एक ही घर जगीरदार का इस गांव में था जिससे दो रावले व बाडे आदि व बाडे में कुआ पानी हेतु स्थित है जो अब रावलो में एक तो खण्डहर हो चका है दूसरे में भी खण्डहर होना शुरू हो गया रहने हेतु कुछ निवास स्थान है जिसमें मैं तेजकुंवर उर्फ तेजूबाई रह रही हूँ। तथा माता जी की पूजा प्रतिष्ठा में ही करती आ रही हूँ। माता जी की मूर्ति व उनके ख़ाते कब्जे की भूमि आराजी संख्या 17 हाल नम्बर 36, 37 है।

यह कि रावले में उगमाबाई व मोतियाबाई बेवा हो गई सो बेगूँ से खेती हेतु मूलसिंह पिता भीमसिंह जी राजपूत को रखा उसने जगीरदार की बेवा मोतीयाबाई को धोखे में रखकर अपने नाम जमीन बक्षीस करवा ली व चुपचाप बालू धाकड आदि को जागीरदार के खाते की जमीन को बिकाव कर दी। इस पडयंत्र में बालू आदि धाकड भी शरीक थे। जगीरदार ने डूंगा पिता उदा भील को माता जी की पूजा हेतू रख रखा था जो फोत हो गया। माता जी की पूजा मै तेजकुंवर बराबर करती आ रही हूँ क्यो कि माता जी हमारी कुलदेवी है। माता जी मूर्ति गांव फतहपुर उर्फ जुझला मगरी में ही स्थित है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि वालू आदि धाकड नहीं चाहते थे कि मैं तेजकंवर यहां रहकर माता जी की जमीन की वाडी रके पूजा प्रतिष्ठा करू सो मेरे उपर झूठा फौजदारी मुकदमा लगा मेरे निवास को कुर्क करवा या। देदीया के भीलों को खेती वाडी हेतु रख रखा था सो वालू धाकड ने एक झूंठा मुकदमा रतनगढ ाने में लगाकर भगा दिया व माता जी की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। मुझ तेजकंवर ने माता जी की तरफ से न्यायालय हाजा में वाद कर आराजी नम्बर 17 वर्तमान नम्बर 36, 37 है का पुनः कब्जा प्राप्त किया वालू आदि धाकड रेवेन्यु बोड तक लडे परन्तु मुकदमा हार गये। भील प्रतिवादी अपने गांव देदीया चले गये व कभी वापस नहीं आये।

यह कि सेटलमेन्ट के पूर्व माता जी (वादी) की खाते कब्जे की आराजी नम्बर 17 रकवा 2 वीघा 19 बिस्वा भूमि फतेहपुर में स्थित है जो कुआ चाह नम्बर 16 से सदैव पीवल होती आई है दोनो फसले होती है कुए चाह.नं. 16 का फेरा भी वादी माता जी की आराजी में आ रहा हैं। यही ही नही श्री वालू धाकड ने एक झूंठा व बेबुनियाद फौजदारी मुकदमा सन 1997 में धारा 454 आईपीसी का मुझ तेजकंवर पर लगा मेरे निवास स्थान को पुलिस के जरिये कुर्क करवा दिया मेरा गृहस्थी का सामान भी कुर्क हो गया। वर्षो वाद मै मुकदमा जीत गई व अदालत के मार्फत मुझे पुनः कब्जा मिल गया। अब दोनो रावले व बाडे आदि जो आवादी में बिलानाम सरकार भूमि में स्थित है जो मेरी मलकियत के होकर मेरे ही कब्जे व उपयोग उपभोग में सदैव से चले आ रहे है अभी मुझ तेजकंवर का ही कब्जा हैं।

यह कि कानूनन पुजारी का कोई हक हिस्स मूर्ति माता जी शाश्वत नाबालिग है पर नहीं बनता है। डूंगा पुजारी था जो बदोबस्ती खसरे में स्पष्ट अंकन है तथा काश्त श्री मूलसिंह जी लाऔलाद फोत हुआ का नाम अंकित होकर काश्त कर्ता बताया है।

यह कि डूंगा फोत हो गया था तो उसके वारिसान का नाम माता जी के खाते कब्जे की भूमि में अंकन नहीं होना चाहिए था किन्तु जागीर कलक्टर चितौडगढ के एक अवैधानिक आदेश 106/8566 दिनांक 20.03.63 तह0 आदेश नम्बर 139 दिनांक 15.6.63 से 1.7.63 से जागीर माफी पुजनार्थ रिज्यूम सन .. .... का आदेश होने से अमल किया गया। इस संबंध में प्रथम तो यह रिज्यूम का आदेश एवं अनोसियोवाइड (प्रभावहीन) है क्यो कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अनुसार मूर्ति धारा 46 राज0टी0एक्ट के तहत शाश्वत नाबालिग मानकर उसे मुक्त रखा गया। कोई भी अन्य कानून इस प्रावधान को समाप्त करने की क्षमता नहीं रखता है। माननीय जागीरदार कलेक्टर साहब का आदेश क्षैत्राधिकार के बाहर का होने से प्रभावहीन होकर चलने योग्य नहीं हैं। मूर्ति की भूमि को किसी भी तरह रिज्यूम करने का कानूनी कोई अधिकार नहीं हैं। अतः आदेश कानून की दृष्टि से कोई प्रभाव नहीं रखता है।

राजस्थान लैण्ड रिफर्मश एण्ड रिज्यूम्पसन ऑफ जगीर एक्ट में जागीर कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं दिये थे केवल जागीर कमिश्नर ही एक मात्र सक्षम अधिकारी थे। बिना किसी आधार के जागीर कलेक्टर प्रतिवादीगण सं. 3 से लगाकर शेष को खातेदारी नही दे सकते थे फिर बिना मूति माता जी (वादी) को बिना सुने उसकी खातेदारी समाप्त करना प्राकृतिक न्याय के विपरित था, अतः आदेश एवइनोसिया वॉईड हैं। अतः यह आदेश न्याय के विपरित होने से अमान्य है प्रभावहीन है।

यह कि वर्तमान में मूर्ति माता जी के स्थान पर प्रतवादीगण सं. 3 से लगाकर अंत तक का खातेदार अंकित किये गये है उनके नाम को खातेदारी से हटाया जावे व उस स्थान पर मूर्ति माता जी वादी का नाम अंकित किये जाकर रेवेन्यु रेकार्ड में दुरूस्ती हेतु आदेश प्रदान किया जावे इस हेतु वाद पेश हैं। यह कि विवादित जमीन मुझ तेजकंवर की अदालत हाजा के आदेश से इजराय नम्बर 32/02 से दिनांक 09.09.2004 को कब्जा सिपुर्द किया तब से मूर्ति माता जी की खाते की उक्त भूमि का मैं ही काश्त करवा रही हूँ पूजा प्रतिष्ठा भी मै ही कर रही हूँ। अन्य कोई भी पूजा प्रतिष्ठा नही कर रहा है और ना ही करने का अधिकारी हैं, क्यो कि मूर्ति माता जी हमारी खानदान की कुलदेवी है और हम ही पूजा करने के अधिकारी है। यह न्यायालय हाजा ने पूर्व के वाद में माना है।

यहकि प्रतिवादी संख्या 3 से लगाकर अंत तक को कोई दखलंदाजी करने के अधिकार नहीं है विवादित भूमि पर एक मात्र मूर्ति माता जी के कब्जे काश्त में है जो दस्तावेजी सबूत से भी प्रमाणित है। अतः प्रतिवादी सं0 3 से लगाकर अंत तक को अवैध कार्यो से रोका जाना चाहिए। मेरी देखरेख में विवादित जमीन में काश्त हो रही है मै ही सरवराकार हूँ इसी आधार पर वाद लाया गया है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

यह कि गत भू–प्रबंध में आराजी नं. 17 के नवीन नंबर 36 व 37 अंकित किये है सो वर्तमान में भी आराजी नं0 36 व 37 खातेदार मूर्ति माता अंकित किया जावें। वर्तमान में भूमि तीन वीघा 17 स्वा बनती है सो यह भी अंकन किया जाने का आदेश प्रदान करें। आराजी नम्बर 17 वर्तमान में 36 व 37 चा.नं. 16से पीवल होने की भी घोषणा की जावें। वर्तमान में आराजी नम्बर 17 माता जी भूमि को प्रतिवादी सं0 3 से लगाकर अंत तक ने खाते में विधि विरूद्ध अंकन होने से उन्हें पक्षकार वनाया गया है। डालू फोत हो गया है तथा उसे वारिसान को पक्षकार वनाया गया हैं। राज्य आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें व तहसीलदार साहव भूमिधारी होने से पक्षकार वनाये गये है।

यह कि प्रतिवादीगण सं. 3 से लगाकर अंत तक दिनांक 1.07.2014 से ही झगडा करने पर उतारू हो गये है सो बिनाय वाद पेदा हुई चूँकि मूर्ति माता की विवादित जमीन प्रतिवादी सं. 3 से लगाकर अंत तक ने अपनी बताकर खुर्द बुर्द करने की धमकी दे रहे है सो उनका कोई अधिकार नहीं रह गया है। मूर्ति माता जी शाश्वत नाबालिग होने से कानून अवधि बाध्य नहीं है वे भी कानून अवधि नहीं है वाद धारा 88–188 राज0 टी0एक्ट के तहत प्रस्तुत है। वाद न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है।

अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार फरमा निम्न प्रकार से वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विपक्षी में डिक्री फरमाया जावें :–

(क) आराजी नं. 17 नवीन आराजी नम्बर 36 व 37 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा अथवा जो भी रकबा बनता है तथा जो चा.नं. 16 से पीवल होती है वादी के खातेदारी होने की घोषणा की जाकर रेकार्ड आल राईट्स में दुरूस्ती बाबत आदेश प्रदान किया जावें। प्रतिवादी सं. 3 से लगा कर अंत तक का नाम हटाया जाकर भूमि वादी के खातेदारी होने की घोषणा जारी फरमाई जावें।

(ख) कि मूर्ति माता जी की खातेदारी की घोषणा डिक्री देने के उपरान्त प्रतिवादी सं. 3 से लगाकर अंत तक को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे विवादित आराजीयात में किसी प्रकार की दखलंदाजी न स्वयं करें न अन्य से करावें।

(ग) कि अन्य दाद जिसका वादी अधिकारी हो दिलाई जावें।

(घ) खर्चा मुकद्मा भी दिलाया जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी सं. 1 व 2 राज्य सरकार की ओर से प्रतिनिधि तहसीलदार बेगूँ उपस्थित आए, जबकि प्रतिवादी संख्या 3 से 15 व 17 से 19 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। इस दावा पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 16 गेंदमल की ओर से पूर्व में अधिवक्ता श्री अजमेंरी ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया बाद में अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत द्वारा अण्डरटैकिंग ली गई लेकिन वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रतिवादी संख्या 16 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये।

दावा पत्रावली में पैरोकार सरकार तहसीलदार बेगूँ द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए वादपत्र की सभी कलम को अस्वीकार करते हुए जवाब दावे के विशेष कथन में निवेदन किया कि ग्राम फतहपुर उर्फ जूझला मंगरी की आराजी नं0 17 रकबा 0.480 हैक्टर भूमि हीरा कुका डालू नानी चुन्नी पिता घीसा ,रूपा शोला भंवरलाल पिता जग्गा भील सा0 देदिया के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज होकर कब्जा काश्त है। पत्रावली में तनकी पत्र कायम नही कर वादी को साक्ष्य हेतु अवसर दिया गया।

दावा पत्रावली में वादी की ओर से साक्ष्य हेतु साक्ष्य शपथ पत्र वादी तेजकुंवर उर्फ तेजुबाई धर्म पत्नी शोभागसिंह जी राजपूत का पेश किया गया, वादीया द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया तथा प्रतिवादी तहसीलदार बेगूँ पैरोकार सरकार की ओर से की गई जिरह मे पूछे गये प्रश्न कि उक्त वर्णित भूमि जमीन भीलो के खाते में चल रही है तों वादी ने बताया कि इन भीलों को वालू धाकड वगैरह लेकर आये थे कुछ दिन खेती कर वापस चले गये, वर्तमान में माता जी की पूजा एवं काश्त कर रही हूँ, यह कहना सही है कि उक्त जमीन माता की डोली के नाम से चली आ रही थी।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

वादी की पूर्ण होने पर प्रतिवादी पैरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूं के साक्ष्य हेतु शपथ पत्रावली में प्राप्त किये गयें। प्रतिवादी से जिरह वादी अधिवक्ता द्वारा नही की गई। इस प्रकार पत्रावली साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी की पूर्ण होने के उपरान्त प्रकरण में बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस को वादपत्र के अनुसार करते हुए निवेदन किया कि वाद वादी का स्वीकार करते हुए वाद वर्णित मौजा फतहपुर उर्फ जुझला मंगरी की गत आराजी नं. 17 जिसके नवीन आराजी नं. 36 व 37 रकबा तीन बीघा 17 बिस्वा बना है को वादी के खातेदारी में घोषित फरमावे एवं प्रतिवादी संख्या 3 का नाम हटाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

बहस में पैरोकार सरकार तहसीलदार बेगूं द्वारा निवेदन किया है कि वर्तमान में प्रश्नगत भूमि भीलो के खातेदारी में दर्ज है एवं उनका ही कब्जा है, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से भी दावा वादी के पक्ष में सिद्ध नही होता है। दावा खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में बहस उभयपक्ष की सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया, प्रदर्श–1 जो कि नकल जमाबंदी मौजा फतहपुर उर्फ जुझला मंगरी सम्वत 2068 से 71 का अवलोकन किया गया, आराजी संख्या 17(माताजी की) रकबा 0.4800 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री हीरा कूका डालू नानी चुन्नी पिता घीसा रूपा शोला भंवरलाल पिता जग्गा जाति भील के नाम दर्ज अंकित हैं। प्रदर्श–2 नक्शाट्रेस आराजी का हैं। प्रदर्श–3 नक्शा किश्तवार ग्राम फतहपुरा उर्फ जूजला मगरी तहसील बेगूं की नकल है। पत्रावली मे प्रस्तुत भू–प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग मिलान खसरा की नकल में गत आराजी संख्या 36 व 37 के नवीन आराजी नम्बर 17 बने होकर रकबा 2बीघा 19 बिस्वा बने है कॉलम नम्बर 23 में श्री डूंगा पिता उदा कोम भील नि.देह पुजारी का नाम दर्ज है । आगे के कॉलम में डूंगा का नाम काटते हुए श्री मूलसिंह पिता भीमसिंह राजपूत कब्जाकाश्त अंकित किया हुआ है।

प्रदर्श–5 नकल जमाबंदी मौजा फतहपुर के गत आराजी संख्या 36 श्री डूंगा पिता उदा भील नि.देह पुजारी अंकित है जमाबंदी में माफी पूजनार्थ अंकित किया हुआ हैं। प्रदर्श–6 नकल निर्णय दिनांक 31.03.2005 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , चितौडगढ के निर्णय की प्रति है। दावा संख्या 8/99 निर्णय उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के निर्णय दिनांक 14.10.2002 के विरूद्ध प्रतिवादीगण बालू धाकड वगै द्वारा प्रथम अपील करने पर माननीय न्यायालय द्वारा पुनरावेदन अस्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी बेगूं के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.10.2002 यथावत रखे जाने का निर्णय किया हैं। प्रदर्श–7 नकल निर्णय वाद संख्या 8/99 व अनवान हीरा भील वगै बनाम श्री बालू धाकड वगै. वाद अन्तर्गत धारा 183 राज0काश्त0अधि0 एवं 183 सी आर.टी.एक्ट में किये गये निर्णय दिनांक 14.10.2002 की नकल है जिसमें न्यायालय द्वारा वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया गया है तथा मौजा फतहपुर उर्फ झूझला मगरी प0ह0 धामंचा के आराजी नं0 17 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को बेदाल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिये जाने का आदेश किया गया हैं। तथा 200 रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से 10 वर्ष के कुल 2000/– प्रतिवादीगण से वसूल किया जाकर वादीगण को मिनप्रेफिट राशि के रूप में दिलाये जाने का भी आदेश दिया गया है। प्रदर्श–8 नकल सूचना पत्र ईजराय संख्या 32/2002 व अनवान मूर्ति माता जी वगै बनाम बालू वगै के सूचना पत्र की नकल है तथा प्रदर्श–9 ईजराय संख्या 32/2002 से दावा संख्या 8/99 की पालना हेतु पर्चामौका बनाया गया है।

प्रदर्श–10 नकल भू–प्रबन्ध विभाग की खतौनी ग्राम फतेहपुर जुजला मगरी संवत 2028 की नकल है जिसमें आराजी संख्या 17 रकबा 2बीघा 19 बिस्वा भूमि डोलीमाता जी की श्री डूंगा पिता उदा कौम भील के नाम पर दर्ज अंकित हैं। प्रदर्श–11 नकल जमाबंदी मौजा फतहपुर झुझंला मगरी सं. 2068 से 71 की पेश की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 10, 26 भूमि आबादी की निवास या वास के लिए दर्ज है। प्रदर्श–12 नकल निर्णय दिनांक 21.09.2013 प्रकरण संख्या 278/1997 न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेगूं के निर्णय की प्रति है जिसमें अभियुक्ता तेजुबाई उर्फ तेजीबाई पत्नी शोभाग सिंह राजपूत निवासी सेमलिया थाना बेगूं को अपराध 454 भा.दं. संहिता के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया हैं। पत्रावली में प्रदर्श–13 नकल बयान बालूराम पिता काशीराम धाकड के बयान प्रकरण संख्या 278/97 में दिये गये की नकल हैं।

उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत सभी प्रदर्श दस्तावेजात का गहन अवलोकन किया गया तथा उन न भी की किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रदर्श– 1 नकल जमावंदी में वर्णित भूमि मौजा पुर उर्फ झूजलामंगरी के आराजी संख्या 17 रकबा 0.4800 हैक्टर भूमि हीरा कूका डालू नानी चुन्नी धीसा रूपा भील भंवरलाल पिता जगा जाति भील के खातेदारी में है किन्तु इस दस्तावेज में भूमि को जी की होना अंकित किया हैं। इस प्रकार नकल खसरा सेटलमेन्ट विभाग के नये पुराने नम्बरों का रकबा अंकन की खतौनी में भी इस वर्णित भूमि गत भूमाप आराजी संख्या 36 व 37 के नवीन आराजी म्बर 17 बने होकर रकबा 2बीघा 19 बिस्वा बना है जिसमें भी डोली माता जी की भूमि होना अंकित किया या है तथा कॉलम नम्बर 23 में श्री डूंगा पिता उदा कोम भील नि.देह पुजारी अंकित किया गया है। इससे भी यह स्पष्ट है कि भूमि माता जी की भूमि होकर श्री डूगा भील जो कि पुजारी थे। प्रस्तुत नकल जमावंदी सन्वत 2016 से 19 तक में भी भूमि माफी श्रीमाता जी स्थान देह अंकित होकर माफी पुजनार्थ पुजारी श्री डूंगा के नाम अंकित की हुई है। इसके अतिरिक्त भी प्रदर्श–7 के अवलोकन से पाया कि मूर्ति श्री माता जी स्थान फतेहपुर जरिये पुजारी के नाम से किया गया दावा जो श्री वालू धाकड आदि के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट का था उसमें भी इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.10.2002 के द्वारा वाद स्वीकार किया जाकर मौजा फतहपुर उर्फ झूंझला गमरी प0ह0 धामंचा के आराजी संख्या 17 रकबा 2 बी घा 19 बिस्वा से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को वे दखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिये जाने के आदेश दिये जाते है। यानि इस निर्णय में भी वादग्रस्त भूमि को मूति माता जी की भूमि ही मानते हुए आदेश दिया गया हैं।

इसके अतिरिक्त प्राप्त दस्तावेजों में भी वादवर्णित भूमि को माता जी की भूमि होना अंकित किया गया है, प्रतिवादीगण जो पुजारी मात्र थे उनके द्वारा यह भूमि अपने खातेदारी में किस प्रकार दर्ज करवा ली गई यह तथ्य प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय में स्पष्ट नहीं किया है ना ही वे उपस्थित आये है। वर्णित भूमि मूर्ति माता जी स्थान फतहपुर उर्फ झुझला मंगरी की भूमि है जो कि प्रतिवादीगण के नाम पर गलत रूप से खाते दर्ज की गई जिसे वापस मूर्ति माता जी स्थान फतहपुर उर्फ झुझलां मंगरी के नाम पर दर्ज किया जाना हम न्यायसंगत समझते है। वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा फतहपुर उर्फ झुझला मंगरी पटवार हल्का कुलाटिया नई की आराजी संख्या 17 रकबा 0.4800 हैक्टर भूमि मूर्ति माताजी स्थान फतहपुर उर्फ झुझला मंगरी के नाम पर दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है तथा प्रतिवादीगण का नाम खाते से हटाया जाने का आदेश दिया जाता है साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 3 से 18 तक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि वे मूर्ति माता जी की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें ना ही अन्य से करावें। मूर्ति माता जी की भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार वेगूँ को निर्देश दिये जाते है कि वे इस मूर्ति माताजी भूमि के लिए श्रीमान कमिश्नर महोदय देवस्थान विभाग, उदयपुर से सम्पर्क कर मंदिर की पूजा एवं भूमि के काश्त आदि सम्बन्धी व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी) वेगूँ
जिला –चितौडगढ़

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

संख्या ::–122/2014

मूर्ति माता जी स्थान फतहपुर उर्फ जुझलामगरी पटवार सर्कल नया देदीया तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ द्वारा सरवराकार तेजकुंवर उर्फ तेजूवाई धर्मपत्नी शोभागसिंह जी राजपूत निवासी फतहपुर उर्फ जुझलामगरी तह0 बेगूँ जिला चितौडगढ़ वादी

बनाम

1. श्री राज्य द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, चितौडगढ़
2. श्रीमान तहसीलदार साहब बेगूँ (भूमिधारी जी) तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़
3. श्री हीरा पिता धीसा भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
4. श्री कूका पिता घीसा भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
5. श्रीमती शांति बेवा डालू भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
6. सुश्री रामकन्या पुत्री डालू भील निवासी देदीया ना0ब0बवलायत माता शांति बेवा डालू भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
7. नानी पिता घीसा पति काशीराम भील निवासी कुलाटीया तह0 बेगूँ
8. चुन्नी पिता घीसा पति गंगाराम भील निवासी कुलाटीया तह0 बेगूँ
9. गंगा बेवा रूपा भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
10. देवीलाल पिता रूपा भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
11. रामलाल पिता रूपा भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
12. कूका पिता रूपा भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
13. मदन पिता रूपा भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
14. देवीलाल पिता सोला भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
15. चुन्नीलाल पिता सोला भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
16. गेंदमल पिता सोला भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
17. प्यारचंद्र पिता सोला भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
18. भंवरलाल पिता जग्गा उर्फ जगन्नाथ भील निवासी देदीया तह0 बेगूँ
19. देवस्थान विभाग ,उदयपुर द्वारा कमिश्नर सा0 उदयपुर

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धान्त बिल्लू की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री तहसीलदार बेगूँ की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88–188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 29.01.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा फतहपुर उर्फ झुझला मंगरी पटवार हल्का कुलाटिया नई की आराजी संख्या 17 रकबा 0.4800 हैक्टर भूमि मूर्ति माताजी स्थान फतहपुर उर्फ झुझला मंगरी के नाम पर दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है तथा प्रतिवादीगण का नाम खाते से हटाया जाने का आदेश दिया जाता है साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 3 से 18 तक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मूर्ति माता जी की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें ना ही अन्य से करावें। मूर्तिमाता जी की भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार बेगूँ को निर्देश दिये जाते है कि वे इस मूर्ति माता भूमि के लिए श्रीमान कमिश्नर महोदय देवस्थान विभाग, उदयपुर से सम्पर्क कर मंदिर की पूजा एवं भूमि के काश्त आदि सम्बन्धी व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

59
13.2.25

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ
जिला –चितौडगढ़